

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रं./शि.क./संवि./ए/39/2010/1037

भोपाल, दिनांक 10-8-10


:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है -

| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|-------|--|----------------------|---------------------------|--|--|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती कविता वीरत सहायक अध्यापक शा.नवीन प्रा.शा. हिरपुरवज्जा जिला शाजापुर | BE5752 | 232206100 05 | जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र.14दि 12.4.10 | जनपद पंचायत खारचोंद जिला उज्जैन जा.क्र.655दि 07.5.10 शा.प्रा.शा. जीयाजीगढ़ | 232104202 01 |

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।







11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

पृष्ठा.क्र./शि.क./ए/संवि./39/2010/1038
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक/8/10
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 10-8-10


उप संचालक/8/10
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश**

क्रं./श.क./संवि./ए/111/2010/1039

भोपाल, दिनांक 10-8-10


:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है -


| क्रं. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|-------|---|----------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री महेश पाटीदार सहायक अध्यापक शा.मा.वि. सेमदा जिला इंदौर | AM4493 | 232603132 01 | जनपद पंचायत देपालपुर जिला इंदौर जा.क्र.2042दि.31.7.10 | जनपद पंचायत कालापीपल जिला शाजापुर जा.क्र.1106दि.02.8.10 शा.प्रा.वि. खरदौन खुर्द | 232205121 01 |
| 2 | श्री मोहन गंधारे सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. खरदौन खुर्द जिला शाजापुर | AZ9719 | 232205121 01 | जनपद पंचायत कालापीपल जिला शाजापुर जा.क्र.1106दि.02.8.10 | जनपद पंचायत देपालपुर जिला इंदौर जा.क्र.2042दि.31.7.10 शा.मा.वि. सेमदा | 232603132 01 |

संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।




9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 10-8-10

पृष्ठा.क्र./शि.क./ए/संवि./111 /2010/10690
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


 उप संचालक
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र./शि.क./संवि./ए/111/2010/1041

भोपाल, दिनांक 10-8-10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था / जिले का डाईस कोड |
|------|--|----------------------|---------------------------|--|---|------------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था / जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती आशा लता परिहार सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. दौलताबाद जिला इंदौर | AM3685 | 232603066 03 | जनपद पंचायत देपालपुर जिला इंदौर जा.क्र.1809दि.15.7.10 | जनपद पंचायत कसरावद जिला खरगोन जा.क्र.5526दि 19.7.10 शा.क.प्रा.वि. अमलाथा | 232712068 02 |
| 2 | श्रीमती मनीषा कैथवास वरि.अ. (अंग्रेजी) शा.उ.मा.वि. बडायलामाता जिला रतलाम | BI7511 | 232004777 04 | जिला पंचायत रतलाम जिला रतलाम जा.क्र.4449दि 10.6.10 | जिला पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र.7597दि 03.8.10 शा.उ.मा.वि. गवली पत्तासिया | 232602777 06 |
| 3 | श्रीमती योनििका कटारया सहायक अध्यापक शि.गारंटी शा. परसेल जिला कटनी | AN5064 | 233806145 01 | जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला कटनी जा.क्र.1185दि 13.7.10 | जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र.1130दि 27.7.10 शा.प्रा.वि. इमलिया | 233904206 01 |
| 4 | श्रीमती गीतांजलि आर्य सहायक अध्यापक शा.मा.वि. उमराय जिला दतिया | AI4440 | 230501170 03 | जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र.1526दि 02.8.10 | जनपद पंचायत मुरार जिला ग्वालियर जा.क्र.2568दि 20.7.10 शा.बा.प्रा.शा. हस्तिनापुर | 230404023 01 |
| 5 | श्रीमती प्रमिला सोनी सहायक अध्यापक शि.गा.शा. नदियाटोला (जिरी) जिला कटनी | AN5121 | 233806239 01 | जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा जिला कटनी जा.क्र.1184दि.13.7.10 | जनपद पंचायत पनागर जिला जबलपुर जा.क्र.1149दि 29.7.10 शा.प्रा.वि. सुहागी | 233904141 01 |
| 6 | श्रीमती आरती अवरथी सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. किशनपुरा जिला श्योपुर | BP2885 | 230108244 01 | जनपद पंचायत विजयपुर जिला श्योपुर जा.क्र.2247दि.30.7.10 | नगरपालिका परिषद सबलगढ़ जिला मुरैना जा.क्र.1560दि 30.7.10 शा.क.प्रा.शा. सबलगढ़ | 230207135 02 |


संविलियन की शर्तें :-

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।




2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियमों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


 उप संचालक 10/8/10
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
 भोपाल, दिनांक 10-8-10

पृष्ठा.क्रं./शि.क./ए/संवि./111 /2010/1042
 प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


 उप संचालक 10/8/10
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./ए/112/2010/1043

भोपाल, दिनांक 18/8/10

:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, वेतनमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड |
|------|--|----------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आई.डी. क्रमांक | संस्था/ जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमती ज्योति तिवारी वरि.अ. (विज्ञान) शा.उ.मा.वि. रूनिजा जिला उज्जैन | BD7383 | 232103777 06 | जिला पंचायत उज्जैन जिला उज्जैन जा.क्र. 9174 दि.31.7.10 | नगरपालिका निगम देवास जिला देवास जा.क्र. 6239 दि.29.07.10 शा.उ.मा.वि. क्रं.-1 देवास | 232301777 01 |

संविलियन की शर्तें -


1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।

M

M


9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्वधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाई में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 10/8/10

पृ./ क्र०/ शि.क./ संवि./ ए/ 112/2010/ 1044
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय

मध्यप्रदेश

क्र०/शिक./संवि./ए/112/2010/1045

भोपाल, दिनांक 10/8/10


:: आदेश ::

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड |
|------|---|----------------------|--------------------------|--|---|-----------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आई.डी. क्रमांक | संस्था/ जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री रामलाल गुर्जर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. कुमारी जिला रतलाम | 816359 | 232003018 01 | जनपद पंचायत जावरा जिला रतलाम जा.क.1103 दि. 31.7.10 | जनपद पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क.2145 दि. 03.7.10 शा.प्रा.वि. लाउखेड़ी | 231906191 01 |
| 2 | श्री जुगराज सिंह पट्टुनिया सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. लाउखेड़ी जिला मंदसौर | AQ6399 | 231906191 01 | जनपद पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क.2145 दि. 03.7.10 | जनपद पंचायत जावरा जिला रतलाम जा.क.1103 दि. 31.7.10 शा.प्रा.वि. कुमारी | 232003018 02 |

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।





8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यक्षीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"


10/8/10
उप संचालक


लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/8/10

पृ./ क्र०/शि.क./संवि./ए/112/2010/1046

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।
7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें ।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश ।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ ।


10/8/10
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्र०/शि.क./संवि./ए/112/2010/1047

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 10/8/10

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वेच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण | | | कार्यरत एवं अंतर्जिला संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का जावक क्रमांक एवं दिनांक | | संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड |
|------|--|----------------------|--------------------------|--|--|-----------------------------------|
| | नाम पद एवं कार्यरत संस्था | यूनिक आई.डी. क्रमांक | संस्था/ जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय | संविलियन निकाय | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्रीमति अंजली जैन अध्यापक (गणित) शा.नवीन मा.शा. गणेशखेड़ा जिला अशोकनगर | AC3491 | 234607079 02 | जिला पंचायत अशोकनगर जिला अशोकनगर जा.क.4364दि. 23.07.10 | नगरपालिका परिषद गुना जिला गुना जा.क.निरंक दि. निरंक शा.क.मा.वि. केन्ट | 230709169 02 |
| 2 | श्रमति मीना गुप्ता सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. भाटखेड़ा जिला राजगढ़ | AU4320 | 233005034 03 | जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क.1353 दि. 15.6.10 | जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क.2399 दि.16.07.10 शा.क.प्रा.वि.जम्बुर्डी हाप्पी | 232605031 04 |
| 3 | श्रीमति मधुवती वर्मा सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. परोत पिपल्या जिला नीमच | AS5512 | 231805231 02 | जनपद पंचायत मनासा जिला नीमच जा.क.1130 दि. 29.7.10 | जनपद पंचायत मल्हारगढ़ जिला मंदसौर जा.क. 1917दि.23.07.10 शा.प्रा.वि. कचनारा शा.क.प्रा.वि. झार्डी | 231904010 01 |
| 4 | श्रमति रेखा अद्या अध्यापक शा.हाईस्कूल कन्यामण्डी गंजबासौदा जिला विदिशा | BF1891 | 233101666 05 | नगरपालिका परिषद गंजबासौदा जिला विदिशा जा.क. 5199 दि.05.8.10 | नगरपालिका परिषद बेगमगंज जिला रायसेन जा.क. 713 दि.02.08.10 शा.क.उ.मा.वि. बेगमगंज | 233402777 02 |
| 5 | श्रमति ऊषा बघेल अध्यापक (कला) शा.मा.वि. पट्टी ततारपुर जिला दतिया | AI3367 | 230503004 02 | जिला पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क. 1619 दि.18.6.10 | नगर पंचायत बिलौआ जिला ग्वालियर जा.क. निरंकदि 24.6.10 शा.मा.वि. बीजासेन बिलौआ | 230401061 17 |
| 6 | श्रीमति किरण कुशवाह सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. लॉच जिला दतिया | AI6720 | 230502174 01 | जनपद पंचायत सेंवडा जिला दतिया जा.क. 610 दि. 24.6.10 | जनपद पंचायत व्याटीगंज जिला ग्वालियर जा.क. 6882 दि.08.7.10 शा.प्रा.शा. थोड़ा | 230401105 01 |


M

M

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसीविषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय से कार्यमुक्त हो सकेंगे ।
4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”


10/8/10
उप संभालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश



भोपाल, दिनांक 10/8/10

पृ./ क्र०/श.क./संवि./ए/112/2010/1048
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. निज सचिव, मा. राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्यप्रदेश ।



7. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्यप्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरान्त ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
10. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु।
12. संबंधित की ओर सूचनार्थ।


उप संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./संवि/ए/63/2010/1053

भोपाल, दिनांक 10/8/10

// संशोधित आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्रमांक/शि.क./संवि/ए/63/2010/766-767 दिनांक 30.6.10 द्वारा श्रीमती रेखा गुप्ता अध्यापक शा.नवीन मा.शाला जुझारी जिला जबलपुर का जिला पंचायत जबलपुर एवं जिला पंचायत कटनी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर शा.मा.वि.झिंझरी के लिये संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र तथा नगर पालिक निगम कटनी की अनापत्ति प्रमाण पत्र क्रमांक/409/शि.स्था./10 दिनांक 6.8.10 प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि शा.मा.शाला झिंझरी की शाला नगर पालिक निगम कटनी के क्षेत्रान्तर्गत आती है ।

अतः संचालनालय द्वारा जारी उक्त आदेश के कालम नं. 6 में जिला पंचायत जिला कटनी जा.क. 513 दिनांक 23.4.10 के स्थान पर नगर पालिक निगम कटनी जा.क 409 दिनांक 6.08.10 पढ़ा जावे ।आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेंगी ।



उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश
भोपाल, दिनांक 10/8/10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./संवि/ए/63/2010/1054

प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर, जिला जबलपुर/कटनी मध्यप्रदेश ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर/कटनी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. आयुक्त नगर पालिक निगम कटनी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर/कटनी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संबंधित - श्रीमती रेखा गुप्ता अध्यापक शा.नवीन मा.शाला जुझारी जिला जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।


उप संचालक
लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश


क्रमांक/शि.क./ए/संवि/96/2010/1049

भोपाल, दिनांक 10/8/10

// संशोधित आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण के आदेश क्रमांक/शि.क./ए/संवि/96/2010/932-33, दिनांक 31-7-2010 के द्वारा सरल क्रमांक 8 पर अंकित श्रीमती शाहेना काजी, सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.मुड़वाय जिला शाजापुर को संविलियन की अनुमति प्रदान की गई थी ।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये कालम नं. 5 में जिला पंचायत मण्डला जिला मण्डला जा.क्र 308 दिनांक 2.7.10 के स्थान पर जनपद पंचायत बड़ौदिया जिला शाजापुर जा.क्र. 2398 दिनांक 3.11.09 कालम नं. 6 में नगर पंचायत पाटन जिला जबलपुर जा.क्र.94 दि. 25.6.10 शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.पाटन के स्थान पर नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ़ जा.क्र.858 दि. 29.10.09 शास.ग्रुप शाला सारंगपुर तथा कालम नं. 7 में संस्था का डाइस कोड 23390577701 के स्थान पर 2330419203 पढ़ा जावे । शेष आदेश की शर्तें यथावत रहेगा ।



उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक 10/8/10

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए/संवि/96/2010/1050
प्रतिलिपि:-

- 1- कलेक्टर, जिला शाजापुर/राजगढ़ मध्यप्रदेश।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बड़ौदिया जिला शाजापुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सारंगपुर जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4- जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर/राजगढ़ मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- संबंधित - श्रीमती शाहेना काजी, सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा.मुड़वाय जिला शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


उप संचालक

लोक शिक्षण मध्य प्रदेश

